

पूर्वानुसार दि. 29-2-24 को पेश हुए

29-02-24 पत्रावली पेश। वकील प्राथीगण उप।
वकील प्राथीगण ने प्राथीगण का प्राथीगण पत्र
नोट प्रस करते हुए खारिज किये जाने का
निवेदन किया गया। अतः वकील प्राथीगण का
निवेदन स्वीकार करते हुए प्राथीगण का प्राथीगण
पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली बाद तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात् तत्पश्चात्

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



मनीष कुमार शर्मा
R.A.O.

Not
Parcell
Handwritten signature